डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2001—भाद्र 2, शक 1923

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2001

क्रमांक 433/175/2001/सा.प्र.वि./लीव/आई.ए.एस.—श्री एस. के. तिवारी, तत्कालीन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15-1-2001 से 19-1-2001 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 20/21-1-2001 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री तिवारी को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2001

क्रमांक 453/1435/सा.प्र.वि./2001/लीव/आई.ए.एस.—श्री पी. सी. दलेई, आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक 2775, दिनांक 15-5-2001 में, 18 मई तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, पुन: दिनांक 19 मई से 22 मई, 2001 (चार दिन) तक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

2. अवकाश काल में श्री दलेई को अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दलेई यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2001

क्रमरंक 4475-A/2001/सा.प्र.वि./निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से , अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उसी हैसियत में उनके नाम के सामने दर्शाये विभाग में स्थानांतरित किया जाता है :—

(1) श्री धनंजय देवांगन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग. — गृह, परिवहन, जेल विभाग.

(2) श्री ए. एन. राव अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, परिवहन, जेल विभाग. — लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2001

क्रमांक 4497/5420/2001/सा.प्र.वि.—श्री आर. एन. कान्हेरे, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखों, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2001

क्रमांक 3364/142/21-ब (छ.ग.)2001.—राज्य शासन, एतद्द्वारा स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय बिलासपुर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु श्री पी. पी. मिश्रा अधिवक्ता बिलासपुर को शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर आगामी आदेश होने तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है.

Raipur, the 4th July 2001

No. 3404/21-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government in consultation with the High Court, hereby established a Court of Judicial Magistrate First Class (Specially for Railways cases) in Raipur District, the headquarters of the Presiding Officer of such court shall be at Raipur and for the local area Civil Districts of Raipur, Durg, Rajnandgaon, Bastar (Jagdalpur) and Bilaspur, will be coming under the jurisdiction of Judicial Magistrate, Railways.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु , अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2001

क्रमांक 1382/1842/श्रम/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 209/2001/श्र.खे./रायपुर, दिनांक 5-2-2001 के आदेश में संलग्न अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित अधिनियमों एवं विनियमों को अन्तः स्थापित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिनियम का नाम (2)
3.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं म. प्र. नियम, 1958.
4.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 एवं म. प्र. नियम, 1963.

(1)	(2)
5.	बंधक श्रमिक प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976.
6.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 एवं म.प्र. नियम, 1981.
7.	श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 एवं नियम, 1957.
8.	विक्रय संवर्धन (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976.
9.	कारखाना अधिनियम, 1948 एवं म. प्र. नियम, 1962.
10.	व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 एवं म. प्र. नियम, 1961.
11.	वेतन संदाय अधिनियम, 1936 एवं म. प्र. अधिनियम, 1962.
12.	उपादान संदाय अधिनियम, 1972 एवं म. प्र. नियम, 1973.
13.	बोनस संदाय अधिनियम, 1965 एवं नियम, 1975.
14.	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 एवं म. प्र. नियम, 1973.
15.	श्रम विधि (कतिपय स्थापनाओं को विवरणी भेजने एवं पंजियां संधारित करने छूट) अधिनियम, 1988 एवं नियम.
16.	संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 एवं म. प्र. नियम, 1973.
17.	बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 एवं म. प्र. नियम, 1968.
18.	बाल श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 एवं म. प्र. नियम, 1993.
19.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं नियम, 1976.
20.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 एवं म.प्र. अधिनियम, 1965.
21.	म. प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1961.
22.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एवं म. प्र. अधिनियम, 1957.
23.	म. प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 एवं नियम, 1963.
24.	म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं नियम, 1959.

Raipur, the 3rd July 2001

No. 1382/1842/L/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the M. P. Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby inserted the following Acts and regulation specified in schedule after the serial No. 2 in published by previous notification No. 209/2001/L.S./Raipur, dated 5-2-2001 in Gazette, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act. (2)
3.	Minimum wages Act, 1948 and M.P. Rules, 1958.
4.	Motor Transport workers Act, 1961 and M.P. Rules, 1963.
5.	Bonded Labour system (Abolition) Act, 1976 & Rules, 1976.
6.	Inter state migrant workman (Regulation of Employment and condition of service) Act, 1979 and M.P. Rules, 1981.
7.	Working Journalists and other news paper employees (condition of service) and miscellaneous provision Act, 1955 and Rules, 1957.
8.	Sales Promotion employees (condition of service) Act and Rules, 1976.
9.	Factories Act, 1948 and M.P. Rules, 1962.
10.	Trade Union Act, 1926 and M.P. Rules, 1962.
11.	Payment of wages Act, 1936 and M.P. Rules, 1962.
12.	Payment of gratuity Act, 1972 and M.P. Rules, 1973.
13.	Payment of Bonus Act, 1965 and Rules, 1975.
14.	Workman compensation Act, 1923 and Rules, 1973.
15.	Labour Laws (exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988.
16.	Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and M.P. Rules, 1973.
17.	Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 and M.P. Rules, 1968.
18.	Child labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and M.P. Rules, 1993.
19.	Equal Ramuneration Act, 1976 and Rules, 1976,
20.	Maternity Benefit Act, 1961 and M.P. Rules, 1965.
21.	M.P. Industrial Relation Act, 1960 and Rules, 1961.
22.	Industrial Disputes Act, 1947 and M.P. Rules, 1957.
23.	M.P. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 and Rules, 1963.
24.	M.P. shops and Estblishment Act, 1958 and Rules, 1959.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2001

क्रमांक 2458/2001/न. प्र.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 है.

(दो) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाएं.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बांत या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956).
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961).
3.	मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टा-धृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984).
4.	मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976.
5.	मध्यप्रदेश साईकिल, रिक्शा (अनुज्ञप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 36 सन् 1984).
6.	सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 45 सन् 1993).
7.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1973).
8.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचक अपराध) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2001

क्रमांक 2458/2001/न. प्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2458/2001/न. प्र. दिनांक 30-6-2001 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकर से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

Raipur, the 30th June 2001

No. 2458/2001/UAD.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

(1) (i) This order may be called the Adoptation of Act Order 2001.

(ii) It shall come into force in whole of the State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

(2) The Acts, as amended from time to time and as specified in the schedule of this order, which was in force in the State of Madhya Pradesh at the time of formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be inforced in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, otherwise and subject to the modification that in all the Acts the word "Chhattisgarh" to be substituted wherever the word "Madhya Pradesh" occurs.

(3) Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the Acts specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).
2.	The Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).
3.	The Madhya Pradesh Ke Nagriya Kshetron Main Bhoomihin Byakti (Pattadhriti Abhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984).
4.	The Madhya Pradesh Gandi Basti Kshetra (Sudhar Tatha Nirmoolan) Adhiniyam, 1976 (No. 39 of 1976).
5.	The Madhya Pradesh Cycle Rikshaw (Anugyaptiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 36 of 1984).
6.	The Employment of Manual Scavangres and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.
7.	The Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973).
8.	The Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences Act, 1964 (No. 13 of 1964).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIVEK DHAND, Secretary.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/6-22/2001/राजस्व.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोगग में लाते हुये राज्य शासन एक नवीन मरवाही तहसील जिसका मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में दर्शाये स्थान पर होगा सृजित करने हेतु उक्त अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील पेण्ड्रारोड की सीमाओं को परिवर्तित करना कालम (2) में दर्शाई तहसील की स्थापना तथा उक्त अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित किये गये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करता है.

2. इस प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समात होने के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे.

अनुसूची

क्रमांक (1)	प्रस्तावित तहसील (2)	मुख्यालय (3)	वर्तमान तहसील (4)	परिवर्तन का प्रकार (5)	सीमाएं (6)
1.	मरवाही	मरवाही	पेण्ड्रारोड	विकासखंड मरवाही के अंतर्गत 100 ग्राम हैं जिसमें से प्रस्तावित मरवाही तहसील के अंतर्गत 80 ग्राम को रखा गया है. विकासखंड मरवाही के 20 ग्राम जो निम्नानुसार हैं :—	उत्तर में तहसील अनूपपुर (म.प्र.) एवं तहसील मनेन्द्रगढ़, पूर्व में जिला कोरिया एवं जिला कोरबा, पश्चिम में जिला शहडोल (म.प्र.) एवं दक्षिण में तहसील पेण्ड्रारोड.

प. ह. नं.	ग्राम का नाम
12	1. खैरझिटी
	2. तौली
	3. पिपरिया
	4. पंडकुरी
13	5 झिरनापोडी
15	6 मटियाडांड
16	7 रूमगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
मरवाही	मरवाही	पेण्ड्रारोड		प.ह.नं.	ग्राम का नाम	
				16	8. कोलबिर्रा	
					9. मड़ई	
					10. सेखवा	
					11. पथर्रा	
				18	12. कोटखर्रा	
					13. खंता	
					14. लखनवाही	
					15. सपनी	
				19	16. बरबासन	
					17. गुम्माटोला	
					18. मेंडुका	
					19. भसकुरा	
					20. दर्री	
				कुल 20 ग्राम पूर्ववत पेण्ड्रारोड तहसील में रहेंगे.		

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. सी. पाण्डेय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई, 2001

क्रमांक एफ/6-22/2001/राजस्व.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-6-22/2001/राजस्व दिनांक 3 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. सी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Raiput, the 3rd July 2001

NOTIFICATION

No. F /6-22/2001/R.—In pursuance of the provisions contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959) notice is hereby given that in exercise of powers conferred by sub-section (2) of the said section State Government proposes to altar the limits of the existing Tahsil Marwahi as specified in column (5) of the schedule below and to create a new Tahsil Marwahi named in column (2) with its headquarter mentioned in column (3) against its name and to define the limits there of as specified in column (6) of the said schedule.

2. The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette and any objections or suggestions in respect there of may be forwarded in writing to the secretary to Government of Chhattisgarh Revenue Department, Raipur before the expiry of the said period.

SCHEDULE

S. No. (1)	Proposed Tahsil (2)	Head Quarter (3)	Existing Tahsil (4)	Nature of Change (5)	Limits (6)
1.	Marwahi	Marwahi	Pendra Road	Out of 100 Villages of Block Marwahi. 80 Villages are included in proposed Marwahi Tahsil. 20 Village of Marwahi block namely :— P. No. — Name of Villages 12 — 1. Khairghiti	NORTH-Tahsil Anuppur (M.P.) and Tahsil Manedragarh. EAST-District Koriya & Distt. Korba. WEST-Distt. Shahdol (M.P.) SOUTH-Tahsil Pendra Road

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Marwahi	Marwahi	Pendra Road	P. No.	Name of Villages	
					2. Touli	
					3. Pipariya	
					4. Pandkhuri	
				13	5. Jhirnapodi	
				15	6. Matiadand	
				16	7. Rumga	
					8. Kolbirra	
					9. Madai	
					10. Sekhwa	
					11. Patharra	
				18	12 Kot Kharra	
					13. Khanta	
					14. Lakhanwahi	
					15. Sapani	
				19	16. Barbasan	
					17. Gummatola	
					18. Meduka	
					19. Bhaskura	
					20. Darri	

Will remain in Pendra Road Tahsil.

The proposed changes are being made with a view to ensure proper and effective administration to these areas.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. C. PANDEY, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2001

क्रमांक 1 अ-82/2000-2001/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठेली	11.25	कार्यपालन यंत्री, खारंग संभाग, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भैरवा जलाशय के डूब हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 10/अ-82/2000-2001/सा-1-सात/.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जयरामनगर	0.49	सीनियर सबडिविजनल इंजीनियर दक्षिण-पूर्व रेलवे, बिलासपुर (छ.ग.).	साईडिंग हेतु रेल पांत का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-चंदनू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.07 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
मुख्य नहर	
522/2	0.16
506	0.20
519	0.30
509	0.10
546	0.21
564/1	0.36
564/2	
522/1	0.14
507	0.07
518	0.07
508	0.09
548	0.10
561	0.15
564/3	0.10
521	0.42

(1)	(2)
524/1	0.10
512	0.24
545	0.14
549	0.10
560	0.22

चंदनू माइनर

(1)	(2)
448	0.21
463	0.13
468	0.26
449	0.17
474	0.03
462/1	0.10
473	0.09

झिरिया माइनर

(1)	(2)
564/4	0.25
607	0.08
621/1059	0.02
644	0.19
660	0.19
674	0.08
564/2	0.06
612	0.06
638	0.02
670	0.02
897	0.35
673	0.08
609	0.13
620	0.17
645	0.06
643	0.09
672	0.04
901	0.01

तुमा माइनर

(1)	(2)
628	0.11
868	0.13
883	0.07
924	0.03
928	0.13
959	0.13
1127	0.11
692	0.45
869	0.08
884	0.12
922	0.04
955	0.03
960	0.02
1007/1	0.01
864	0.14
882	0.04
878	0.03
923	0.04
956	0.11
997/1	0.03
1008	0.02
1011	0.05
1012	0.05
1017	0.04
1024	0.05
1125	0.09
1007/2	0.01
1009	0.07
1029	0.04
1018	0.06
1028	0.05
1128	0.02
1131/1	0.02
1124/1	0.12
1016	0.09
1019	0.04
1030	0.06
1131/2	0.18
योग	9.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2, मुख्य नहर, चंदनू माइनर, झिरिया माइनर एवं तुमा माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाराडेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408	0.05
413	0.08
423/4	0.10
427	0.02
409	0.02
426	0.07
424	0.05
459	0.02
410	0.02
415/4-5	0.07
425/1	0.04
460	0.04
मुंगेली माइनर	
404	0.05
395	0.10
418	0.09
396	0.10
422	0.03
429	0.06
447	0.02
451	0.08
385	0.12
389	0.09
421	0.10
397	0.05
350	0.28
430	0.01
449	0.07
388	0.23
390	0.01
394	0.06
417/2	0.01
428/1	0.15
445/3	0.03
450	0.11
योग	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 मुख्य नहर एवं मुंगेली माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुंगेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.54 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
मुख्य नहर	
626	0.10

(1)	(2)
633	0.01
655	0.22
629	0.08
649	0.02
651/1	0.11
636	0.12
635	0.23
648	0.08
630/2	0.03
637	0.07

मुंगेली माइनर

(1)	(2)
564	0.01
585	0.13
593	0.06
572	0.10
588/1	0.01
594	0.04
577	0.13
588/2	0.18

चंदनू माइनर

(1)	(2)
630/1	0.05
606	0.14
623	0.01
626	0.01
678	0.06
680	0.06
761	0.07
766	0.13
630/2	0.05
690	0.47
624	0.09
667	0.09
762	0.04
691	0.08
763	0.05
627	0.08
607	0.03
625	0.11
677	0.07
679	0.01
760	0.04
764	0.07
योग	3.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 मुख्य नहर एवं मुंगेली माइनर एवं चंदनू माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 05/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141	0.06
165/1	0.17
166	0.08
180	0.06
142	0.10
160	0.06
167/2	0.05
143	0.11

(1)	(2)
164	0.13
168	0.04
योग	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 बिटकुली माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुलमुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.69 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
मुख्य नहर	
855	0.03
862	0.04
865	0.10
1334	0.03
1337	0.01
1375	0.08
1376	0.11
1396	0.07
1398/2	0.06
1402	0.05
1408	0.13
856	0.06
863	0.02
866	0.06
1335	0.03
1374	0.07
1394	0.10
1393	0.07
1397	0.11
1400	0.44
1405	0.08
1468	0.02
859	0.10
864	0.04
1332/2	0.01
1336	0.24
1339	0.05
1395	0.06
1392	0.05
1398/1	0.06
1401	0.08
1406	0.08
1469	0.15
बिटकुली माइनर	
1402	0.02
1420	0.03
1428/1	0.10
1430	0.06
1403	0.11
1405	0.06
1428/2	0.09
1438	0.33
1404	0.02
1427	0.16
1429	0.02
योग	3.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 मुख्य नहर एवं बिटकुली माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 07/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.16 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/3	0.49
18/6	0.22
76	0.45
योग	1.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 बिटकुली माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-झिरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25	0.04
68	0.13
134/1	0.08
28	0.12
70	0.14
166/1	0.17
29/1-2	0.13
72	0.08
योग	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 झिरिया माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
मुख्य नहर	
469	0.06
490/1	0.14

(1)	(2)
486	0.05
490/2	0.38
487	0.02
489	0.06

मुंगेली माइनर

478	0.12
483	0.06
486	0.23
479	0.03
484	0.03
487	0.02
480	0.06
488	0.01
482	0.13
485	0.01
योग	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सकरी फेस-2 मुख्य नहर एवं मुंगेली माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा , दिनांक 14 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/सा-1/सात/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरूवा, प.ह.नं., 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1308	0.22
1313/1	0.30
1319/2	0.06
1316/2	0.42
1314	0.13
1389/3 क	3.05
1389/4	0.38
योग	4.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नंदेली पेण्डरूवां मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर , दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 02/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तुरी
- (ग) नगर/ग्राम-सीपत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-155.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
843/3	0.08
867/2	0.04
885/3	0.10
889	0.60
886	0.30
887	0.24
890	0.97
885/2	0.10
888	0.04
940/2	0.20
510	0.53
527/1	0.20
529	0.05
533	0.07
534/1	0.24
534/2	0.80
535	0.22
536	0.10
537	0.13
538	0.10
539/1	0.78
539/2	0.30
540/1	0.55
540/2	0.30
540/3	0.10
541	0.20
542/1	0.67
542/2	0.13
543	0.46
544	0.44
545	0.24
546	0.43
555/3	0.10
547/1	0.61
547/2	0.17
553	0.12
554	0.31
555/1	0.35
555/2	0.54
556/1	0.63
556/2	0.22
557	0.87
558/1	0.24
558/2	1.06
560/1	0.95
560/2	1.00
563/2	0.40
568	0.32
569	1.50
570/1	0.80

(1)	(2)
570/2	0.26
570/3	0.27
570/4	0.27
571	0.56
572	0.38
573	0.12
574	0.13
575	0.35
576/1	0.28
576/2	0.02
577/1	0.30
577/2	0.28
578	0.11
579/1	0.33
579/2	0.50
595/2	0.15
596	0.13
597	0.29
598	0.28
599	0.01
591/1	0.08
600/1	0.14
600/2	0.42
600/3	0.39
600/4	0.45
600/5	
600/6	
600/8	0.14
601	0.03
602	0.15
603	0.80
604	0.72
605	0.66
606	0.05
612/2	0.05
612/3	0.20
615/1	0.90
615/2	0.12
616	0.90
617	0.87
618	0.54
619	0.34
620/1	0.11
620/2	0.11
620/3	0.11
620/4	0.10
621/1	0.48
621/2	0.47
622	0.32

(1)	(2)	(1)	(2)
623	0.43	651/2	0.10
624/1	0.10	1100	0.06
624/2	0.20	1102	0.85
625/1	0.30	652	0.60
625/5	0.29	654/1	1.00
625/2	0.33	654/2	0.19
625/3	0.28	654/3	0.19
625/4	0.31	655/1	0.56
626	0.45	655/2	0.45
627	0.12	655/3	0.10
628	0.45	656/3	0.30
629	0.32	658/1	0.79
630	0.56	661	0.27
631	0.53	662/1	0.13
632	0.80	662/3	0.10
633	0.10	982/2 क	0.10
634/1	0.44	982/3 क	0.08
634/2	0.44	382/3 ख	0.42
634/3	0.88	982/3 ग	0.10
637/1	0.21	982/ 4 ख	0.14
637/2	0.11	982/4 ग	0.10
637/3	0.15	982/5	0.60
637/4	0.10	982/6क	0.14
638	0.64	985/1 ग	0.32
639	0.22	988/1	0.63
640	0.35	990	0.22
641/1	0.15	996	1.00
641/2	0.15	997/2	1.50
636/2	0.09	1019/9	0.10
636/3	0.05	1028/3	0.20
636/4	0.09	1029/2	0.32
636/5	0.05	1029/3	0.38
641/3	0.20	1030/2	0.20
641/4	0.20	1030/3	0.20
642/1	0.15	1031	0.38
642/2	0.15	1032	0.14
642/3	0.15	1033	0.89
643/1	0.15	1034	0.14
643/2	0.75	1035/1	0.27
644	0.38	1035/2	0.36
645	0.22	1036	0.54
646	1.20	1037	0.84
647/1	0.04	1038/1	0.70
647/2	0.20	1038/2	0.48
648/2	0.10	1038/3	0.52
648/1	0.81	1039	0.09
649	0.30	1040	0.08
650	0.04	1041/1	0.60

(1)	(2)
1041/2	0.12
1041/3	0.54
1041/4	0.12
1041/5	0.20
1042	0.33
1043	0.06
1044	0.07
1045	0.13
1046	0.10
1047	0.10
1048	0.15
1049/1	0.07
1049/2	0.07
1050	0.31
1051	0.19
1052	0.33
1053	0.06
1054	0.08
1055	0.31
1056	0.41
1057	0.20
1058/1	0.07
1058/2	0.06
1059	0.24
1060/1	0.30
1060/2	0.20
1061/1	0.92
1061/2	0.35
1061/3	0.40
1062	0.06
1063	0.06
1065	0.06
1064/1	1.00
1064/2	0.66
1066/2 क	0.20
1084	0.09
1066/2 ख	0.10
1067/1	0.77
1067/2	1.55
1068/1	0.11
1068/2	0.08
1068/3	0.11
1069	0.40
1070/1	0.80
1070/2	0.60
1071/1	0.56
1071/2	0.44
1072	0.60
1073	0.20
1074	0.40
1075	0.11
1076	0.25
1077/1	0.35
1077/2	0.65
1078	0.96
1079	0.95
1080/1	0.39
1080/2	0.55
1081/1	0.63
1081/2	0.62
1081/3	0.89
1081/4	0.60
1082	1.01
1083/1	0.44
1083/2	0.52
1085/1	0.20
1085/2	0.20
1085/3	0.20
1085/4	0.15
1085/5	0.15
1085/6	0.20
1085/7	0.25
1085/8	0.31
1085/9	0.20
1085/10	0.15
1086	2.85
1087	0.39
1088/1	0.72
1088/2	0.24
1088/3	0.12
1088/4	0.04
1134	0.46
1088/5	0.36
1089	0.08
1090	0.54
1091	0.17
1092	0.33
1093	0.26
1094/1	0.30
1094/2	0.25
1094/3	0.30
1094/4	0.30
1095	0.26
1096	0.04
1097	0.75
1098/2	0.16
1103	0.30
1104/1	0.51

(1)	(2)
1104/2	0.50
1105/1	1.02
1105/2	0.18
1106/1	0.22
1106/2	1.12
1107/1	0.78
1107/2	0.20
1107/3	0.20
1107/4	0.17
1107/5	0.20
1108/1	0.20
1108/2	0.38
1109/1	0.22
1109/2	0.65
1109/3	0.24
1109/4	0.19
1110/1	0.07
1122/3	0.12
1110/2	0.65
1110/3	0.35
1110/5	0.35
1110/4	0.70
1111/1	1.07
1111/2	1.14
1111/3	0.58
1122/4	0.07
1111/4	0.30
1112/1	0.05
1112/2	0.36
1112/3	0.16
1112/4	0.16
1113	0.50
1114	0.60
1115	0.11
1116	0.11
1117/1	0.90
1117/2	0.20
1117/3	0.20
1118/1	0.28
1119/3	0.07
1118/2	0.28
1119/2	0.08
1118/3	0.13
1118/4	0.11
1119/1	0.20
1120/1	0.54
1121/2	0.18
1120/2	0.49
1121/1	
1122/2	
1120/4	0.48
1121/4	
1122/5	
1120/3	0.30
1121/3	
1122/1	0.26
1123/1	1.47
1123/2	0.12
1124/1	0.33
1124/2	0.38
1125	0.58
1126	0.27
1239/2	0.07
1127	1.08
1128/1	1.15
1128/2	0.10
1129/2	0.50
1206	0.06
1128/3	0.25
1129/1	0.54
1130/1	0.58
1130/2	0.70
1130/3	0.70
1131/1	0.44
1131/2	0.44
1132	1 01
1133/1	0.19
1133/2	0.64
1133/3	0.20
1135	1.21
1136	0.43
1137	0.58
1138/1	0.30
1138/2	0.30
1139	0.56
1140	0.66
1141	1.15
1142	0.55
1143	0.17
1144	0.40
1145/1	0.72
1145/2	0.90
1146/1	1.90
1146/2	0.30
1146/3	0.25
1147/1	0.70
1147/2	0.06

(1)	(2)
1149	0.84
1151/3	0.04
1147/3	0.34
1148/1	0.30
1148/2	0.30
1148/3	0.20
1150/1	0.65
1150/2	0.33
1150/3	0.75
1151/1	0.36
1153	0.55
1151/4	0.02
1152/1	0.88
1152/2	0.25
1152/4	0.10
1154	0.47
1155	0.24
1156	0.22
1157/1	0.30
1157/2	0.50
1183/1	0.19
1184/1	0.15
1184/3	0.17
1194	0.20
1201	0.55
1202/1	0.18
1202/3	0.20
1203	0.03
1204	0.10
1205	0.13
1207	0.34
1208	0.08
1239/1	0.28
योग	155.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 जून 2001

क्रमांक 03/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तुरी
- (ग) नगर/ग्राम-जांजी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
433/7	0.14
433/8	0.14
452/2	0.15
484/7	0.10
486/5	0.35
535/8	0.58
874/2	0.05
874/7	0.10
874/8	0.10
874/9	0.10
874/10	0.10
874/11	0.25
938/1	1.60
1026/8	0.34
1026/14	0.43
1026/15	0.43
1026/16	0.43
योग	5.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/93-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बनियागांव, प.ह.नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.393 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167	0.170
170	0.076
172	0.085
276	0.053
173/1	0.093
174	0.040
175/2	0.179
177	0.064
406	0.093
180/1	0.033
181/3	0.129
181/7	0.081
181/5	0.162
181/9	0.158
181/6	0.016
181/8	0.073
296	0.121
297	0.081
299	0.352
300/5	0.049
301/1	0.153
368/1	0.033
362/1	0.033
362/10	0.073
362/15	0.020
362/16	0.073
362/29	0.033
362/30	0.012
362/31	0.044
362/35	0.044
362/38	0.049
368/2	0.024
368/3	0.024
368/4	0.024
385	0.016
405	0.121
414/3	0.081
456/1-ख	0.053
456/7	0.138
456/8	0.235
योग	3.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—बनियागांव उदवहन योजना की मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/94-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-तारापुर, प.ह.नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.444 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1	0.137
54	0.024
130.	0.129
487	0.121
487	0.121
55	0.202
56	0.097
63	0.129
563	0.048
77	0.097
79/2	0.081
324/1	0.032
115	0.097
323	0.012
114	0.048
117	0.040
118	0.097
320	0.056
557	0.081
119	0.008
122/2	0.073
123	0.081
220	0.032
338	0.161
336/2	0.065
131/1	0.016
218	0.008
239	0.073
219	0.012
221	0.016
225/1	0.040
227	0.008
323	0.105
498	0.145
222/3	0.020
225/2	0.032
226	0.048
319	0.145
326	0.129
230	0.016
231	0.008
335	0.056
340/3	0.105
488	0.185
489	0.307
496	0.169
499	0.032
500	0.218
532	0.235
533	0.016
530	0.048
556	0.073
562/2	0.032
564	0.040
531	0.040
योग	4.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—तारापुर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/95-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-उलनार, प.ह.नं. 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.917 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1	0.344
55/1	0.293
4/1	0.243
55/1	0.061
55/1	0.134
55/1	0.405
55/1	0.364
55/1	0.073
योग	1.917

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—तारापुर तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/96-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-कोण्डागांव

(ग) नगर/ग्राम-कोण्डागांव, प.ह.नं. 30(अ)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.269 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1046/19, 1046/25 छ	0.182
1046/19, 1046/25	0.392
1046/19, 1046/25	0.331
1046/19, 1046/25	0.364
योग	1.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—संधारा, तालाब की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/96-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-कोण्डागांव

(ग) नगर/ग्राम-सितली, प.ह.नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2,3,8	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—पल्ली तालाब की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर , दिनांक 29 जून 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/96-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-पल्ली, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.704 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
520	0.482
462	0.044
528/3	0.107
528/4	0.107
482	0.478
480	0.137
179/1, 181/1	0.137
481	0.651
179/2, 181/2	0.274
407	0.040
182	0.057
484	0.190
योग	2.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम—पल्ली तालाब की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Bilaspur, the 28th June, 2001

No. 2587/II-2-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the tabel below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts him as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge for the Sessions Division specified against his respective name in column No. (5) of the table below, z :—

TABEL

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Ambrish Kumar Patel.	Rajnandgaon	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge in the vacanct court.

Bilaspur, the 28th June, 2001

No. 2589/II-3-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I and Judicial Magistrate First Class in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABEL

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Noordip Tigala	Dhamtari	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge, Class-I, and Judicial Magistrate First Class vice Shri N. C. Sankhla.
2.	Shri Nirmal Minj	Kanker	Dhamtari	Raipur	II Civil Judge, Class-I and Judicial Magistrate First Class vice Shri N. D. Tigala.

Bilaspur, the 28th June, 2001

No. 2591/II-3-1/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names from the date they assume charge of their duties, viz :—

TABEL

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Smt. Sushma Sawant	Baloda Bazar	Raipur	Raipur	VIII Civil Judge, Class II vice Shri Vijay Kumar Hota.
2.	Shri Vijay Kumar Hota	Raipur	Baloda Bazar	Raipur	Civil Judge, Class-II vice Smt. Sushma Sawant.

बिलासपुर, दिनांक 28 जून, 2001

क्रमांक 2593/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं भारतीय रेल अधिनियम, 1980 (सन् 1980 का 9) की धारा 47, 100, 101, 102, 104, 107, से 114 तथा 116 से 130 के अंतर्गत रेलभूमि से उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/इक्कीस-ब (छ.ग.)/2001, दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1	श्री नीलम चंद सांखला	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर, रायपुर.

Bilaspur, the 28th June, 2001

No. 2593/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Cirmial Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs, Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001, dated 16th May 2001 for trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 (No. 29 of 1966) and under Sections 47, 100, 101, 102, 104, 107, to 114 and 116 to 130 of the Indian Railway Act, 1890 (No. 9 of 1890) arissing within the Railway Lands running through the territories of Civil Districts shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Neelam Chand Sankhla	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh. Surguja at Ambikapur and Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई, 2001

क्रमांक 2698/तीन-6-8/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) के अधीन उद्भूत होने वाले दाण्डिक मामलों का विचारण करने के लिये नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक दण्डाधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक डी-1976/2359/26-2/88 दिनांक 23-6-1989 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (क्रमांक 53 सन् 1986) की धारा 5 के अन्तर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये जिलों के लिये विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	विशेष द्वितीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारियत व जिला (4)
1	श्री बलिंदर सिंह सलूजा	सरगुजा स्थान-अंबिकापुर.	सरगुजा, रायगढ़

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना (जहां तक उसका संबंध सरगुजा स्थान अंबिकापुर पर नियुक्ति से है) को निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 5th July, 2001

No. 2698/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate in Column No. (2) of the Scheduled below as a Second Judicial Magistrate First Class in the Special Court established by the State Government of Madhya Pradesh under Section 5 of the Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986) vide Social Welfare Department, Bhopal Notification No. D/1976/2359/26/2-88, dated 23-6-1989 for the local Jurisdication Specified in the corresponding entries in column No. (4) of the said schedule with head quarter at the place shown in corresponding entries in column No. (3) thereof, to try cases relating to offences punishable under Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986), namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Special Second Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Balinder Singh Saluja	Surguja at Ambikapur.	Raigarh, Surguja

The earlier High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification (so far as it relates to appointment of Second Judicial Magistrate First Class, Surguja at Ambikapur) is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2001

क्रमांक 2713/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एस. के. केतारप, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी अंबिकापुर जो सरगुजा जिले में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2001

क्रमांक 2996/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (सन् 1890 का 9) की धारा 47, 100, 101, 102, 104, 107 से 114 तथा 116 से 130 के अंतर्गत रेलभूमि से उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/इक्कीस-ब (छ.ग.)/2001, दिनांक 4 जुलाई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1	श्री आर. बी. घोरे	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक सी/5467/तीन-6-3/57 भाग-7, दिनांक 8-9-1998 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 26th July 2001

No. 2996/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Cirmial Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs, Department Notification No. 34037/21-B (C.G.)/2001, dated 4th July 2001 for trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 (No. 29 of 1966) and under Sections 47, 100, 101, 102, 104, 107 to 114 and 116 to 130 of the Indian Railway Act, 1890 (No. 9 of 1890) arissing within the Railway Lands running through the territories of Civil Districts shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri R. B. Ghore	Raipur	Raipur, Durg, Rajnandgaon, Bastar (Jagdalpur), Bilaspur.

The Notification No. C/5467/III-6-3/57 Pt. 7 dated 8-9-1998 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is hereby cancelled.

By order of the High Court,
T. K. JHA, Registrar General.